

परिशिष्ट

परिशिष्ट - I

(पैराग्राफ 1.3 में संदर्भित)

निकायों की सूची जिन्होंने तीन महीनों से अधिक विलंब के पश्चात लेखा प्रस्तुत किया

क्र. स.	स्वायत्त निकायों का नाम	लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की तिथि	विलंब महीनों में
1.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	30.10.2014	3
2.	उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	8.10.2014	3
3.	केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, अरुणाचल प्रदेश	07.10.2014	3
4.	भारतीय हज समिति, मुम्बई	23.12.2014	5
5.	नालंदा विश्विद्यालय	20.10.2014	3
6.	जे.आई.पी.एम.ई.आर., पुदुचेरी	21.10.2014	3
7.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल	16.12.2014	5
8.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर	10.12.2014	5
9.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	25.12.2014	5
10.	ए.बी. वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	10.12.2014	5
11.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर	23.12.2014	5
12.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	8.12.2014	5
13.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली	27.10.2014	3
14.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पुदुचेरी, करईकाल	7.10.2014	3
15.	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	28.10.14	3
16.	प्रसार भारती, नई दिल्ली	10.10.2014	3
17.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	10.11.2014	4
18.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़	24.11.2014	4
19.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली	10.10.2014	3

क्र. स.	स्वायत्त निकायों का नाम	लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की तिथि	विलंब महीनों में
20.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	19.12.2014	5
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोझीकोड (कालीकट)	13.1.2015	6
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम	16.1.2015	6
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड	16.2.2015	7
24.	दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर	20.5.2015	10

परिशिष्ट - II

(पैराग्राफ 1.4 में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनका वर्ष 2013-14 के लिए लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2015 तक संसद के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए थे

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम (मंत्रालय वार)
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
1.	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर
2.	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
3.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, चेन्नई
4.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन
5.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली
6.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
7.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई
8.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली
	विदेश मंत्रालय
9.	नालंदा विश्वविद्यालय
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
10.	उत्तर पूर्वी पारम्परिक औषधि संस्थान, पासीघाट
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
11.	केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई
12.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम
13.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, धनबाद
14.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, राँची
15.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद
16.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम (मंत्रालय वार)
18.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैण्ड
19.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
	विधि एवं न्याय मंत्रालय
20.	राष्ट्रीय विधिक अकादमी, भोपाल
	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय
21.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली

परिशिष्ट -III

(पैराग्राफ 1.4 में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद को प्रस्तुति में विलंब

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम (मंत्रालय वार)	मंत्रालय/विभाग	विलंब महीनों में
1.	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहली	रसायन एवं उर्वरक	4
2.	इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, इलाहाबाद	संस्कृति	2
3.	राष्ट्रीय बाध संरक्षण प्राधिकरण	पर्यावरण एवं वन	4
4.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चैन्ने		4
5.	केन्द्रीय जू प्राधिकरण, नई दिल्ली		2
6.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7
7.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता		2
8.	भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली		4
9.	सभ्यता अध्ययन केन्द्र	एच.आर.डी./उच्चतर शिक्षा	7
10.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय		3
11.	भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली		7
12.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलोर		4
13.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर		4
14.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली		7
15.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर		4
16.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली		3
17.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर		4
18.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर		3
19.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	3	
20.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	2	

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम (मंत्रालय वार)	मंत्रालय/विभाग	विलंब महीनों में
21.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर		2
22.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्थान		2
23.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल		2
24.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, दिल्ली		4
25.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोन्नयन परिषद, दिल्ली		4
26.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता		3
27.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल		3
28.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश		3
29.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राऊरकेला		3
30.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश		3
31.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर		4
32.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलौंग		7
33.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरत		2
34.	राष्ट्रीय खुला विद्यालय संस्थान, नोएडा	एच.आर.डी./विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता	4
35.	भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड	लेखा/आर्थिक मामले	7
36.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, हैदराबाद	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	3
37.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	3
38.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	3

परिशिष्ट - IV

(पैराग्राफ 1.5 में संदर्भित)

बकाया उपयोग प्रमाणपत्रें

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित (मार्च 2014 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2015 तक देय थे	
		संख्या	राशि
कृषि एवं कृषक कल्याण (कृषि एवं सहकारिता तथा पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग)	1992-08	76	1343.00
	2008-13	2374	942338.00
	2013-14	1782	964927.00
	कुल	4232	1908608.00
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन (कार्मिक एवं प्रशिक्षण)	2006-08	1	0.05
	2008-13	22	49.47
	2013-14	12	116.91
	कुल	35	166.43
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण	2013-14	2	1.50
	कुल	2	1.50
महिला एवं बाल विकास	1986-08	4131	23619.13
	2008-13	420	6862.16
	2013-14	121	3194.85
	कुल	4672	33676.14
अल्पसंख्यक मामले	2007-08	9	41.38
	2008-13	58	5782.85
	2013-14	287	2420.69
	कुल	354	8244.92
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1987-08	8529	46441.90
	2008-13	1028	13519.56
	2013-14	870	8160.49
	कुल	10427	68121.95

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित (मार्च 2014 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2015 तक देय थे	
		संख्या	राशि
लोक उद्यम	2012-13	9	36.07
	2013-14	21	245.93
	कुल	30	282.00
भारी उद्योग	2003-08	2	8020.00
	2008-13	12	80275.00
	2013-14		
कुल	14	88295.00	
रसायन एवं पेट्रोरसायन	2009-13	11	47.22
	2013-14	10	1856.03
	कुल	21	1903.25
भेषज	2008-13	13	3864.70
	2013-14	20	616.66
	कुल	33	4481.36
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1991-08	905	11634.32
	2008-13	903	19023.60
	2013-14	203	13856.20
कुल	2011	44514.12	
एच.आर.डी. (उच्चतर शिक्षा)	1977-08	1740	21591.08
	2008-13	490	11208.63
	2013-14	335	57521.16
कुल	2565	90320.87	
विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता	1982-08	1158	42717.47
	2008-13	420	903151.90
	2013-14	379	1238728.40
कुल	1957	2184597.77	
श्रम एवं रोजगार	1979-08	301	1332.27
	2008-13	222	5061.74
	2013-14	सूचना प्राप्त नहीं	सूचना प्राप्त नहीं
कुल	523	6394.01	

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित (मार्च 2014 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2015 तक देय थे	
		संख्या	राशि
शहरी विकास	1985-08	31	1406.35
	2008-13	73	14567.97
	2013-14	62	14652.25
	कुल	166	30626.57
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	1995-08	31	3784.41
	2008-13	257	42932.74
	2013-14	201	65286.41
	कुल	489	112003.56
खान	2013-14	2	9.15
	कुल	2	9.15
कपड़ा मंत्रालय	1978-08	810	3663.71
	2008-13	3084	149176.36
	2013-14	90	22376.08
	कुल	3984	175216.15
वाणिज्य	2002-08	29	1236.34
	2008-13	48	11017.67
	2013-14	8	1018.90
	कुल	85	13272.91
प्रवासी भारतीय मामले	2011-13	3	209.77
	2013-14	3	96.88
	कुल	6	306.65
उर्वरक	2012-13	1	27.96
	2013-14	1	11.94
	कुल	2	39.90
पेयजल एवं स्वच्छता	2005-08	1	45.88
	2008-13	18	17021.73
	2013-14	6	9562.41
	कुल	25	26630.02

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित (मार्च 2014 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2015 तक देय थे	
		संख्या	राशि
उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास	2002-08	478	157790.24
	2008-13	384	189552.75
	2013-14	67	36749.01
	कुल	929	384092.00
पर्यावरण एवं वन	1981-08	5495	24288.69
	2008-13	655	21861.94
	2013-14	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
	कुल	6150	46150.63
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी	2002-08	36	3564.55
	2008-13	71	17635.81
	2013-14	63	12749.29
	कुल	170	33949.65
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	2009-13	12	1818.36
	2013-14	2	255.00
	कुल	14	2073.36
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	2006-08	2	2.20
	2008-13	150	1601.78
	2013-14	147	6630.05
	कुल	299	8234.03
कार्पोरेट मामले	2007-08	2	0.60
	2008-11	8	1.88
	2011-14	--	--
	कुल	10	2.48
पोत-परिवहन	2008-13	5	165.25
	2013-14	1	12.07
	कुल	6	177.32

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित (मार्च 2014 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2015 तक देय थे	
		संख्या	राशि
औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन	2012-13	3	10588.00
	2013-14	21	41918.00
	कुल	24	52506.00
	कुल योग	39237	5324897.70

परीशिष्ट - V

(पैराग्राफ 1.6 में संदर्भित)

संबंधित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां

1. मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.एन.आई.टी.), जयपुर

i. स्थायी परिसम्पत्तियां (अनुसूची 4) ₹ 29823.19 लाख

इसमें 2014-15 में खरीदे गए ई.एम.सी तथा वी.एम वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर क्लाउड सोल्युशन उपकरणों, जिनके लिए योजनागत अनुदान से ₹ 269.75 लाख का 100 प्रतिशत अग्रिम दिया गया था, की लागत शामिल नहीं थी। ये उपकरण दिनांक 1.10.2014 में संस्थापित करके चालू किए गए थे लेकिन संस्थान ने उनको स्थायी परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं किया था। इसके परिणाम स्वरुप ₹ 256.26 लाख की सीमा तक स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताया गया, ₹ 13.49 लाख तक घाटे (ह्रास) को कम बताया गया तथा ₹ 269.75 लाख तक कर्जे, अग्रिम एवं जमा को अधिक बताया गया था।

2. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, आरेखण एवं विनिर्माण संस्थान, चेन्नई

i. मूर्त परिसम्पत्तियां – ₹ 32.55 करोड़

प्रगति में पूँजीगत निर्माण कार्य – ₹ 197.59 करोड़

2. प्रशासन खण्ड का उसके पूर्ण होने के पश्चात् भी पूँजीकरण न करने तथा दिनांक 09.12.2013 को उसका उपयोग किए जाने के परिणाम स्वरुप ₹ 14.89 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताया गया तथा प्रगति पर पूँजीगत निर्माण कार्य को अधिक बताया गया था। परिणामतः ₹ 0.37 करोड़ तक मूल्यह्रास कम बताया गया है।

3. दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर

i. स्थायी परिसम्पत्तियां – ₹ 2.83 करोड़

मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र में उपलब्ध ₹ 2.99 करोड़ राशि की 949 पेंटिंगों के मूल्य को वार्षिक लेखाओं में लेखाबद्ध नहीं किया गया था जिसके परिणाम स्वरुप स्थायी परिसम्पत्तियों को उक्त सीमा तक कम बताया गया था। इसके अतिरिक्त लेखाओं में शून्य मूल्य वाली 242 पेंटिंगों तथा मूर्तिकला एवं मृणमूर्ति कलाकृतियों का मूल्य को शामिल न किए जाने के संबंध में विशिष्ट प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3. भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, थिरुवनंतपुरम

i. मूर्त परिसम्पत्तियां - ₹ 106.20 करोड़

वैज्ञानिक तथा प्रयोगशाला उपकरण – ₹ 85.50 करोड़

इसमें विदेशी वैज्ञानिक तथा प्रयोगशाला उपकरण, जिन्हें मार्च 2015 से पूर्व खरीदा गया था लेकिन मार्च 2015 के पश्चात प्रतिष्ठापित किया गया था, के मूल्य के रूप में ₹ 29.61 करोड़ शामिल थे। इसके परिणाम स्वरूप मूर्त परिसम्पत्तियों को ₹ 29.61 करोड़ तक अधिक बताया गया तथा इतनी ही राशि के प्रगति पर पूँजीगत कार्य को कम बताया गया। इसके परिणामस्वरूप इन परिसम्पत्तियों के लिए मूल्यहास का प्रावधान होने के कारण व्यय को भी ₹ 2.37 करोड़ तक अधिक बताया गया तथा मूर्त परिसंपत्तियों तथा व्यय से आय के आधिक्य को भी ₹ 2.37 करोड़ तक कम बताया गया है।

4. असम विश्वविद्यालय, सिल्चर

i. कर्ज, अग्रिम एवं जमा: ₹ 32.60 करोड़

उपर्युक्त शीर्ष के.लो.नि.वि. को डिफू कैम्पस के चार सिविल निर्माणकार्यों के लिए अग्रिम रूप में दिए गए ₹ 3.10 करोड़ तथा प्रिन्ट जर्नलों की सदस्यता हेतु अग्रिम रूप में दिए ₹ 0.65 करोड़ सहित ₹ 3.75 करोड़ तक अधिक बताया गया था जिसको के लो.नि.वि. द्वारा नवंबर 2008 तथा अक्टूबर 2009 के बीच निर्माण कार्यों को पूर्ण करने तथा प्रिन्ट जर्नलों की मार्च 2015 तक प्राप्ति होने के बावजूद पूँजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप इसके समान राशि तक स्थायी परिसम्पत्तियों को भी कम बताया गया था।

आगे, इसके परिणाम स्वरूप ₹ 0.44 करोड़ के मूल्यहास का कम प्रावधान हुआ क्योंकि उपर्युक्त राशियों को पूँजीकृत नहीं किया गया था तथा इसका आगे यह परिणाम हुआ कि वर्ष 2014-15 में इतनी ही राशि तक व्यय से आय का आधिक्य अधिक बताया गया था।

5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी

i. शैक्षिक खर्च: ₹ 47.28 करोड़

उपर्युक्त राशि को ₹ 2.53 करोड़ तक अधिक बताया गया है क्योंकि अनुसंधान जर्नल की खरीद पर किए गए पूँजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना गया था। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के अंत में स्थायी परिसंपत्तियों को ₹ 2.53 करोड़ तक परिणामी कम बताने सहित घाटे को अधिक बताया गया था।

6. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

i. स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹ 1567.10 करोड़

परिसम्पत्तियों पर स्वामित्व की प्राप्ति न होने के बावजूद प्रायोजित परियोजनाओं- एस आर आई सी में से सृजित परिसम्पत्तियों (₹ 361.80 करोड़) में ₹ 2.51 करोड़ मूल्य के भूमि और भवन शामिल नहीं थे तथा चिन्हित निधि की स्थायी परिसम्पत्तियों को संस्थान की परिसम्पत्तियों में मिला दिया गया था।

इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों, रिजर्व तथा अधिशेष को ₹ 383.00 करोड़ तक अधिक बताया गया था।

ii. मूल्यहास: ₹ 35.43 करोड़

उपर्युक्त राशि निम्नलिखित कारणों से ₹ 48.07 करोड़ तक कम बताई गई थी।

a) संस्थान ने मूल्यहास की नई दरें अपनायी थी तथा पूरे वर्ष के लिए परिसम्पत्तियों की वृद्धि पर मूल्यहास देने की नीति लेखाओं के नए फार्मेट में एम.एच.आर.डी. द्वारा निर्धारित की गई था लेकिन सितंबर 2014 के बाद पूँजीकृत विभिन्न परिसम्पत्तियां पर ₹ 9.18 करोड़ राशि का मूल्यहास नहीं दिया गया था।

b) कम्प्यूटरों तथा बाह्य उपकरणों तथा ई-जर्नलो में वृद्धि (सितंबर 2014 से पूर्व) तथा 20% तथा 40% की बजाय क्रमशः 2% तथा 4% की मूल्यहास दर को अपनाने के कारण अवशेषों के मूल्य पर ₹ 38.89 करोड़ तक मूल्यहास कम दिया गया था।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष की आय से व्यय के आधिक्य को भी ₹ 48.07 करोड़ तक कम बताया गया था।

7. विश्व भारती, शान्तिनिकेतन

i. ऋण, अग्रिम तथा जमा: ₹ 224.62 करोड़

पूर्ण किए गए निर्माणकार्यों के प्रति सी.पी.डब्ल्यू.डी. से उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति तथा ₹ 112.47 करोड़ राशि लेने तथा सी.पी.डब्ल्यू.डी. से ₹ 25.95 करोड़ राशि के अग्रिम के उपयोग के प्रति प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बावजूद ₹ 138.42 करोड़ तक उपर्युक्त राशि अधिक बतायी जा रही थी तथा अग्रिमों की राशि को समायोजित तथा पूँजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्य को भी ₹ 138.42 करोड़ (मूर्तपरिसम्पत्तियां ₹ 112.47 करोड़ तथा प्रगति पर निर्माणकार्य ₹ 25.95 करोड़) तक कम बताया गया था।

iii. पूर्व-कालिक आय: ₹ 9.36 लाख

विश्व भारती ने पूर्व वर्षों में अपने कर्मचारियों की देय निवल वेतन के प्रति ₹ 14.91 करोड़ की देयता सृजित की। उक्त राशि में से ₹ 10.55 करोड़ को पहले ही 2013-14 में वेतन वर्तमान देयताओं में डेबिट करने की बजाय राजस्व व्यय लेखे में वेतन शीर्ष में डेबिट करके निकाल लिए थे। ₹ 10.55 करोड़ के प्रावधान की अभी कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन उसको लेखे में वापस नहीं लिया गया था।

इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि की आय को कम बताया गया था तथा वर्तमान देयताओं को ₹ 10.55 करोड़ तक अधिक बताया गया परिणामतः व्यय से आय के आधिक्य को भी ₹ 10.55 करोड़ तक कम बताया गया था।

8. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

i. चिन्हित/दान निधि

रोगी अनुदान: ₹ 34.99 करोड़

i. उपर्युक्त में पैकेज प्रभारों के लिए प्राप्त ₹ 1.75 करोड़ की राशि शामिल है जो संस्थान की आय के रूप में समझी जानी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप चिन्हित निधि (रोगी अनुदान) को ₹ 1.75 करोड़ तक अधिक तथा उतनी ही राशि की आय तथा और कॉरपस/पूँजीगत निधियों को कम बताया गया है।

9. भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली

i. चालू देयताएँ तथा प्रावधान

उपदान हेतु प्रावधान: ₹ शून्य

संस्थान ने, भारतीय जी.बी.नि. के माध्यम से कराए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार ₹ 1.91 करोड़ राशि के उपदान हेतु कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ तक चालू देयताओं एवं प्रावधान को कम घटा तथा कॉरपस निधि को अधिक बताया गया।

10. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल

i. स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹ 22.37 करोड़

इसमें प्रगति पर पूँजीगत निर्माणकार्य, जिसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया गया है, की लागत के ₹ 408.09 करोड़ शामिल नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रगति पर पूँजीगत निर्माणकार्यों तथा उतनी सीमा तक पूँजीगत निधि को कम बताया गया है।

11 कांडला पत्तन न्यास

i. प्रगति पर पूँजीगत निर्माण कार्य – ₹ 420.49 करोड़

प्रगति पर पूँजीगत निर्माण कार्य में पूर्ण किए गए तथा 31 मार्च 2015 से पूर्व उपयोग में लाए गए लेकिन स्थायी परिसम्पत्ति के रूप में पूँजीकृत न किये गये 32 निर्माणकार्यों की लागत की ₹ 43.15 करोड़ की राशि शामिल है। इसके परिणामस्वरूप प्रगति पर पूँजीगत निर्माणकार्य को अधिक तथा ₹ 43.15 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताया गया। सफल जीवन तथा प्रभारित की जाने वाली मूल्यहास दरों के अभाव में लाभप्रदता के प्रभाव पर टीका-टिप्पणी नहीं की जा सकती।

12 मारमुगाँव पत्तन न्यास

i. चालू देयताएं – ₹ 322.84 करोड़

(i) चालू देयताओं में निम्न शामिल नहीं होता:

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा मार्च 2013 से मार्च 2015 की अवधि के लिए सी.आई.एस.एफ. की तैनाती की लागत पर विलम्बित भुगतान पर ब्याज के प्रति ₹ 4.90 करोड़ के बिल प्रस्तुत किए गए थे; तथा

(ख) दक्षिणी पश्चिम रेलवे द्वारा फरवरी और मार्च 2015 के माह के लिए इंजिन किराया प्रभारों के संबंध में ₹ 54.67 लाख के बिल प्रस्तुत किए गए थे।

इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं तथा हानियों के ₹ 5.45 करोड़ तक कम बताया गया था।

ii. वित्त एवं विविध खर्च

लेखाविधि मानक 15 - (कर्मचारी हित) के अनुसार जहाँ सेवानिवृत्ति लाभों की देयता एक न्यास का सृजन करके निधिबद्ध होती है, वर्ष के लिए वहन की लागत बीमांकिक आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। मारमुगाव पत्तन न्यास ने भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पेंशन निधि, समूह उपदान निधि तथा छुट्टी नकदीकरण निधि के लिए देयताएं प्रदान नहीं की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1,047.78 करोड़ तक देयताएँ तथा हानियाँ कम बताई गई हैं।

13. मुम्बई पत्तन न्यास

i. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, एवं अग्रिम

हस्तगत रोकड़ शेष – ₹ 2.27 करोड़

लेखाओं में विभिन्न अग्रदाय खातेदार के द्वारा भेजे गए ब्यौरों के अनुसार अग्रदाय रोकड़ ₹ 2.27 करोड़ के प्रति ₹ 0.58 करोड़ दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ तक हस्तगत रोकड़ अधिक बताया गया और हानि कम बताई गई थी।

ii. वित्त एवं विविध आय

चिन्हित निधियों पर अर्जित ब्याज – ₹ 196.77 करोड़

चिन्हित निधियों पर अर्जित ब्याज में, चिन्हित निधियों पर अर्जित ब्याज के रूप में ₹ 196.77 करोड़ शामिल हैं। प्रमुख पत्तनों की वित्तीय सूचना के लिए सामान्य रुपरेखा के अनुसार निवेशों से उद्भूत होने वाली आय, जो विशिष्ट निधियों के प्रति चिन्हित की गई है, को संबंधित निधि लेखे में क्रेडिट किया जाना चाहिए तथा संबंधित निधि से संबंधित व्यय को संबंधित निधि लेखे में डेबिट किया जाना चाहिए। चूंकि मुम्बई पत्तन न्यास ने चिन्हित निधियों पर अर्जित ब्याज को लाभ तथा हानि लेखे में क्रेडिट किया, इसलिए वर्ष की चिन्हित निधियों तथा घाटे को ₹ 196.77 करोड़ तक कम बताया गया था।

14. खादी और ग्राम उद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.)

i दान निधि – ₹ 185.70 करोड़

दान निधि शेषों में, आयोग द्वारा कई वर्षों से अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य निदेशको, संस्थाओं तथा नोडल बैंकों को दिए गए अग्रदाय अग्रिम के ₹ 70.19 करोड़ शामिल थे जो प्रतिपूर्ति वाउचरों की प्रतीक्षा में समायोजन हेतु लम्बित थे। लेखापरीक्षा 'दान निधि' शेषों में ₹ 70.19 करोड़ के इन अग्रदाय अग्रिमों की विशुद्धता तथा वसूलनीयता को प्रमाणित करने में असमर्थ है।

जैसा कि पैराग्राफ 5.1 की अनुसूची 18 (ख) में दर्शाया गया है कि खा.ग्रा.उ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों के पास अव्ययित शेष के रूप में पड़े ₹ 435.18 करोड़ की दान निधि तथा रोकड़ तथा बैंक शेष कम बताए गए थे। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को भेजे गए योजना वार उपयोग प्रमाणपत्रों में खा.ग्रा.उ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालय के पास उपलब्ध इन अव्ययित शेषों को खा.ग्रा.उ.आ के पास पड़े अव्ययित शेष के अंश के रूप में नहीं दर्शाया गया था।

अव्ययित शेषों की अनुसूची (पैराग्राफ 5.1 की अनुसूची 18 - ख), में खा.गा.उ.आ. के 6 आंचलिक कार्यालयों, 17 प्रशिक्षण केन्द्रों, 2 मंडलीय कार्यालयों तथा केन्द्रीय कार्यालय के 10 निदेशालयों के पास पड़े ₹ 4.31 करोड़ के अव्ययित शेष शामिल नहीं किए गए थे जिसके परिणामरूप ₹ 4.31 करोड़ तक दान निधि तथा रोकड़ तथा बैंक शेष और कम बताए गए थे।

15. विज्ञाग पत्तन न्यास (वि.प.न्या), विशाखापत्तनम

i. कम्पनी/पत्तनों/न्यासों को अग्रिम तथा ऋण : ₹ 13.40 करोड़

वि.प.न्या. ने मैसर्स राइट्स को आन्ध्र प्रदेश में हुगगाराजा पत्तनम में नए प्रमुख पत्तन के विकास हेतु तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी हेतु ₹ 5.56 करोड़ दिए तथा उसको राजस्व व्यय के प्रभारित किया गया था। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार उपर्युक्त व्यय बनायी जाने वाली संयुक्त जोखिम कम्पनी में वि.प.न्या.की ईक्विटी का भाग बन जाएगा। इस प्रकार व्यय को राजस्व व्यय की बजाय अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.56 करोड़ तक प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन खर्चों को अधिक तथा कंपनियों/पत्तनों/न्यासों को चालू परिसम्पत्तियों तथा कर पूर्व लाभ के अंतर्गत 'अग्रिमों' तथा कर्जों को कम बताया गया था।

16. रबड़ बोर्ड, कोट्टायम

i. चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम: ₹ 75.75 करोड़

चार कम्पनियाँ, जिनका निवल मूल्य पूर्णतः अपरादित कर दिया गया है, को दिए गए कार्यशील पूँजीगत ग्रहण तथा उस पर ब्याज का प्रावधान न होने के कारण ₹ 18.29 करोड़ तक अधिक बताया गया है। चूँकि कम्पनियों की उनके निवल मूल्य से अधिक संचित हानियाँ हैं, इसलिए ऋण तथा ब्याज की वसूलनीयता संदेहास्पद है। इसके परिणामस्वरूप इतनी ही राशि तक आय से व्यय का आधिक्य कम बताया गया है।

17. मसाला बोर्ड, कोचि

i. घाटा कॉरपस/पूँजीगत निधि में ले जाना: ₹ 20.98 करोड़

घाटा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पेंशन तथा उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण के प्रति देयता का कम प्रावधान करने के कारण ₹ 100.20 करोड़ की सीमा तक कम बताया गया जिसके परिणामस्वरूप देयताओं को कम बताया गया था।

18. दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.)

i. आकस्मिकता आरक्षित निधि : ₹ 904.09 करोड़

चूँकि दि.वि.प्रा. ने ₹ 21.17 करोड़ की वास्तविक प्रोद्भूत आय की बजाय ₹ 1.43 करोड़ की प्रोद्भूत आय को माना था इसलिए आकस्मिकता आरक्षित निधि से अर्जित ब्याज आय को ₹ 19.74 करोड़ तक कम बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.74 करोड़ की सीमा तक आरक्षित निधि निवेश पर अर्जित ब्याज तथा आकस्मिकता आरक्षित निधि के अंत शेष को कम बताया गया है।

ii. चालू देयताएं एवं प्रावधान: ₹ 1734.51 करोड़

इसमें 212 ई.डब्लू.एस. एवं 348 श्रेणी - II आवास योजना के संबंध में किए गए कार्य के लिए खर्चों के प्रति देयता के ₹ 16.20 करोड़ शामिल थे। तथापि ठेकेदार द्वारा 31 मार्च 2015 तक कोई कार्य नहीं किया गया था। अतः 31 मार्च 2015 को किसि देयता का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.20 करोड़ तक खर्चों को अधिक बताया गया है तथा चालू वर्ष के लिए इतनी ही राशि के अधिशेष को कम बताया गया है।

iii. इसमें नरेला में 13094 एल आई जी एवं 2579 ई.डब्लू.एस. आवास (समूह- II) योजना के संबंध में किए गए कार्य के लिए खर्चों के प्रति ₹ 43.83 करोड़ की देयता शामिल है। यह देयता 21^{वें} आर.ए. बिल, जिसको बकाया अग्रिम, अग्रिम पर ब्याज, सांविधिक देयताओं आदि के प्रति ₹ 19.82 करोड़ की राशि का समायोजन करने के बाद ₹ 24.01 करोड़ के निवल भुगतान हेतु 31 मार्च 2015 को पारित किया गया था, के प्रति सृजित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार के प्रति ₹ 19.82 करोड़ तथा ₹ 13.90 करोड़ तक अग्रिमों को अधिक देयता तथा ₹ 2.79 करोड़ तक सांविधिक देयताओं, ₹ 2.19 करोड़ तक देय प्रतिभूति जमा तथा ₹ 0.94 करोड़ तक ब्याज से आय कम बताई गई थी।

IV. इसमें नरेला तथा रोहिणी समूह-1 योजना के अंतर्गत 11566 एल आई जी एवं 2276 ई.डब्लू.एस. के आवासों के निर्माण के संबंध में किए गए निर्माणकार्य के खर्चों की देयता के प्रति ₹ 54.98 करोड़ (22^{वें} आर ए बिल के ₹ 17.13 करोड़ + 23^{वें} आर ए बिल) ₹ 37.85 करोड़ की राशि शामिल नहीं थी लेकिन 31 मार्च 2015 तक इसका भुगतान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 54.98 करोड़ तक खर्चों, ठेकेदार के प्रति ₹ 35.55 करोड़ तक की देयता, ₹ 4.24 करोड़ तक उपाय कर; श्रम उपकर, वैट के प्रति सांविधिक देयता, ₹ 3.25 करोड़ तक देय प्रतिभूति जमा, ₹ 2.53 करोड़ तक ब्याज से प्राप्त आय को कम बताया गया तथा ₹ 9.40 करोड़ की सीमा तक ठेकेदार के अग्रिमों को अधिक बताया गया।

V. सामान्य निवेश से आय: ₹443.04 करोड़

सामान्य निवेश से प्राप्त आय में 2014-2015 के दौरान किए गए ₹1345 करोड़ के सा.ज.जो 2015-16 में परिपक्व होने थे, के संबंध में प्रोदभूत ब्याज के प्रति ₹66.69 करोड़ शामिल नहीं थे। इन सा.ज. में से ₹77.45 करोड़ के वास्तविक प्रोदभूत ब्याज के प्रति केवल ₹10.76 करोड़ का ब्याज ही दर्ज किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹66.69 करोड़ की राशि की आय को कम बताया गया तथा चालू वर्ष के लिए इतनी ही राशि के अधिशेष को कम बताया गया।

VI. स्थापना और प्रशासन व्यय : ₹268.26 करोड़

स्थापना और प्रशासन व्यय में शिक्षा शुल्क (₹1.05 करोड़), बिजली खर्च (₹3.06 करोड़), न्यू.पे.यो. में अंशदान (₹0.53 करोड़) तथा पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना में अंशदान (₹30.00 करोड़) के प्रति ₹41.20 करोड़ के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप खर्चों तथा चालू देयताओं को ₹41.20 करोड़ तक कम बताया गया तथा इतनी ही राशि तक अधिशेष को अधिक बताया गया।

19. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

i) सामान्य

यद्यपि विश्वविद्यालय को कई वर्षों से विश्वविद्यालय परिसर से बाहर ₹35.06 करोड़ राशि के भूमि तथा भवन उपहारस्वरूप मिले थे, तथापि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (अनुसूची 23) के पैरा 3.2 का उल्लंघन करते हुए इन भूमि तथा भवनों के मूल्य को तुलन-पत्र में स्थायी परिसम्पत्तियों शीर्ष के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था।

20. हैदराबाद विश्वविद्यालय

i) स्थाई परिसम्पत्तियाँ: ₹337.7 करोड़

वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों के अंतिम मूल्य पर दिए जाने वाले ₹4.75 करोड़ के कुल मूल्यहास के प्रति गलत मूल्यहास दरों के अपनाने के कारण ₹3.65 करोड़ की राशि दी गई थी। मूल्यहास के कम प्रावधान के प्रति ₹1.11 करोड़ के अंतर के परिणामस्वरूप ₹1.11 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों को अधिक तथा व्यय को कम बताया गया था। घाटा भी ₹1.11 करोड़ तक कम बताया गया था।

21. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल

i. व्यय: ₹111.20 करोड़

इसमें वर्ष के दौरान अठारह (18) पूर्ण किए गए तथा नवीकरण/निर्माण कार्यों के प्रति किया गया ₹3,58,35,177/- का व्यय शामिल है जिसे मरम्मत एवं अनुरक्षण के अंतर्गत राजस्व के रूप में गलत माना गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹3.58 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों को कम और व्यय को अधिक बताया गया था। ₹3.58 करोड़ तक घाटा भी अधिक बताया गया था।

22. ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट

i. स्थायी परिसम्पत्तियाँ: ₹ 10.84 करोड़

यद्यपि वर्ष 2014-15 से मूल्यहास की विधि में नीचे लिखित मूल्य से सीधी पंक्ति में लिखने का परिवर्तन आया था, तथापि: जैसा कि लेखाविधि मानक-6 के पैरा सं. 15 में अनिवार्य था, जिस तिथि से परिसम्पत्तियों को उपयोग में लाया गया (पूर्वव्यापी प्रभाव से) उससे नई विधि के अनुसार मूल्यहास की पुनर्गणना नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 2014-15 के दौरान मूल्यहास विधि में परिवर्तन के कारण ₹ 2.08 करोड़ के मूल्यहास का अधिक प्रावधान हुआ।

23 भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर

i. तुलनपत्र-स्थायी परिसम्पत्तियाँ

पुस्तकालय (पुस्तकें तथा पत्रिका) में, अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2015 की अवधि से संबंधित ₹ 11.06 करोड़ मूल्य के ई-जर्नल शामिल हैं जिन्हें अभी तक 31-03-2015 को परिसम्पत्ति के रूप में प्रोदभूत नहीं किया गया है। परिणामतः ₹11.06 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियाँ अधिक तथा चालू परिसम्पत्तियाँ कम बताई गई थी। परिणामस्वरूप ₹4.42 करोड़ तक मूल्यहास का प्रावधान अधिक तथा व्यय से आय का आधिक्य कम बताया गया था।

24 कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली

i. चालू देयताएँ तथा प्रावधान - ₹1807.69 करोड़

उपर्युक्त में ई.एस.आई.सी. मुख्यालयों के संबंध में ₹38.43 करोड़ राशि के ठेकेदारों के लम्बित बिलों के प्रति देयताएं शामिल नहीं की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹38.43 करोड़ तक चालू देयताओं तथा प्रावधान को कम तथा ₹45.56 लाख तक रिजर्व तथा

अधिशेष को अधिक प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य को ₹37.97 करोड़ तक कम बताया गया है।

25. भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

i. चालू देयताएं एवं प्रावधान - ₹1.21 करोड़

उपर्युक्त में देय खर्चों की देयताएं शामिल नहीं हैं लेकिन ₹101.25 लाख राशि (चिन्तन अतिथिगृह को अनुरक्षण भुगतान ₹51.40 लाख, मुख्यालय के परामर्शदाता। ठेके के स्टाफ का वेतन-₹11.26 लाख, मार्च 2015 के लिए देय पेंशन-₹31.14लाख); गृह व्यवस्था/सुरक्षा/बागवानी स्टाफ के वेतन-₹7.45 लाख) का भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं एवं प्रावधानों को कम बताया गया तथा इतनी ही राशि की पूंजीगत निधि को अधिक बताया गया।

26. जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली

i. चालू देयताएं एवं प्रावधान- ₹847.83 करोड़

उपर्युक्त में देय खर्चों के लिए देयताएं शामिल नहीं की गई हैं लेकिन ₹118.39 लाख राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹118.39 लाख तक चालू देयताओं को कम तथा पूंजीगत निधि को अधिक बताया गया है।

II. स्थायी परिसम्पत्तियाँ - ₹505.22 करोड़

₹235.48 लाख मूल्य (योजना के अंतर्गत) के 'दन्तचिकित्सा उपकरणों' के कुल अधिप्रापण में से लेखाओं में केवल ₹99.78 लाख के लाख के उपकरण ही पूंजीकृत किए गए थे। ₹135.70 लाख मूल्य के शेष उपकरणों को स्थायी परिसम्पत्तियों के अंतर्गत नहीं लिया गया था। इसके अतिरिक्त, चूंकि शेष राशि का भुगतान अभी किया जाना था, उसकी देयता को सृजित किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों, चालू देयताओं और प्रावधान को ₹135.70 तक कम बताया गया था।

27. प्रसार भारती, नई दिल्ली

i. चालू परिसम्पत्तियाँ: ₹1899.26 करोड़

चालू परिसम्पत्तियों में एफ.डी.आर. के रूप में ₹594.61 करोड़ की राशि शामिल है। तथापि, प्रसार भारती के प्राप्ति एवं भुगतान लेखों में एफ.डी.आर. का अंत शेष ₹563.52 करोड़ दर्शाया गया था। अंतर का समाधान नहीं किया गया है।

28. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर

i. चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम ₹933.34 लाख

इसमें वर्ष के अंत में स्टोर में पड़ी ₹95.07 लाख राशि के उपयोज्य स्टोर मदों को शामिल नहीं किया गया है। संस्थान ने भण्डार मदों को व्यय के रूप में दर्ज किया तथा चालू वर्ष में प्रयुक्त रूप में दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹95.07 लाख की सीमा तक चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों तथा अधिशेष को कम बताया गया था।

29. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी)

i. मूल्यहास तथा परिशोधन: ₹29.51 करोड़

उपर्युक्त में, ₹7.77 करोड़ की सीमा तक विकसित तथा मई 2011 से उपयोग हो रही प्रलेखन प्रबन्धन प्रणाली (प्र.प्र.प्र.) परियोजना पर प्रभार्य मूल्यहास के प्रति ₹7.38 करोड़ शामिल नहीं है। परियोजना के अधिक विकास का कार्य, ओ.ई.एम. तथा विकसित प्र.प्र.प्र., जिसका अभी तक उपयोग किया जा रहा है, द्वारा किसी अन्य विक्रेता के माध्यम से कराना विचाराधीन है। अतः लागत को पूंजीकृत किया जाना चाहिए तथा मूल्यहास मई 2011 के बाद से प्रभारित किया जाना चाहिए। मूल्यहास प्रभारित न करने के परिणामस्वरूप ₹7,38,38,792 (7,77,25,044 की कुल परिसम्पत्तियों की लागत को 5 प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य रखते हुए तक व्यय कम बताया गया तथा परिणामतः व्यय से आय के आधिक्य के कारण शेष को अधिक बताया गया।

30. चाय बोर्ड, कोलकाता

i. स्थायी परिसम्पत्तियाँ (अनुसूची 8): ₹2.33 करोड़

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि लघु उत्पादकों का समस्त व्यय अनुसंधान एवं विकास योजना में प्रभारित किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2014-15 के दौरान चाय बोर्ड ने लघु उत्पादकों के लिए एक पृथक लेखा जो लघु उत्पादक विकास योजना के रूप में जाना गया, खोला है। यह भी पाया गया था कि 31-03-2014 तक अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत लघु उत्पादक विकास के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद के प्रति ₹227.90 लाख की कुल राशि खर्च की गई थी। उपर्युक्त खरीद को या तो अनुसंधान एवं विकास योजना या लघु उत्पादक विकास योजना के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए। तथापि, चाय बोर्ड ने ₹227.90 लाख की खरीद को दोनों लेखाओं में दर्ज कर दिया था। उपरोक्त के परिणामस्वरूप ₹227.90 लाख तक स्थायी परिसम्पत्तियों को अधिक तथा देयताओं (चिन्हित/दान निधि आर्थिक सहायता योजना) को अधिक बताया गया है।

31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र

i. पूंजीगत निधि -मुख्य लेखा (अनुसूची 4): ₹123.16 करोड़

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) ने, वित्त मंत्रालय की सहमति से केन्द्रीय सहायता की पद्धति का अनुसरण करते हुए व्यय में केन्द्रीय सरकार के हिस्से का निर्धारण किया तथा तदनुसार संस्थान को ₹24.00 करोड़ का आवर्ती अनुदान तथा ₹3.52 करोड़ का अनावर्ती अनुदान जारी किया जिसका संस्थान द्वारा राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया था। तथापि, संस्थान ने, ₹65.69 करोड़ के सहायता अनुदान (अनुसूची 12) से आय तदनु रूप ₹65.69 करोड़ (अनुसूची 15 से 21) के व्यय की राशि दर्शायी है। इस प्रकार, संस्थान ने, मा.सं.वि.मं. से कोई संस्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹27.52 करोड़ (₹24.00 करोड़ जमा ₹3.52 करोड़) के वास्तविक अनुदान की बजाय ₹65.69 करोड़ की अनुदान आय को दर्ज किया।

इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत निधि को कम तथा सामान्य निधि को ₹38.17 करोड़ तक अधिक बताया गया है।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान अधिशेष, समान राशि तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। लेखापरीक्षा टिप्पणी के कारण वर्ष के अधिशेष को घाटे में परिवर्तित कर दिया गया है। परिणामतः एन.आई.टी. कुरुक्षेत्र के लेखाओं पर प्रतिकूल राय जारी की गई थी।

परिशिष्ट - VI

(पैराग्राफ 1.6 (क) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां वर्ष 2014-15 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गयी थी

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
2.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
3.	भारतीय फार्मसी परिषद, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली
5.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली
6.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली
7.	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
8.	केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद, नई दिल्ली
9.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
10.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
11.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
12.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
13.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानकीकरण प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.), नई दिल्ली
14.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
15.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
16.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
17.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली
18.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली
19.	राष्ट्रीय मानव संसाधन आयोग, नई दिल्ली
20.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
21.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
22.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली
23.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली
24.	भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
25.	तिब्बत हाऊस, नई दिल्ली
26.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगठन, नई दिल्ली
27.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
28.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
29.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली

30.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली
31.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोन्नयन परिषद, नई दिल्ली
32.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
33.	राष्ट्रीय शिक्षण योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, दिल्ली
34.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
35.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली
36.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
37.	भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
38.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली
39.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
40.	केन्द्रीय गुजरात विश्वविद्यालय, गांधीनगर
41.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
42.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
43.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
44.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
45.	दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर
46.	ऑरोविले फाउंडेशन, पुदुचेरी
47.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्पुदुर
48.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
49.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, तमिलनाडु
50.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
51.	तटीय जलीय संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई
52.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
53.	केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई
54.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कवरत्ती
55.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची
56.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
57.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
58.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
59.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
60.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
61.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
62.	पूर्वीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता

63.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
64.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
65.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला
66.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
67.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
68.	राष्ट्रीय तेलबीज एवं खाद्य तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव
69.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
70.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
71.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
72.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
73.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
74.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़
75.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़
76.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
77.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक
78.	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
79.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
80.	कलकत्ता पत्तन श्रमिक बोर्ड, कोलकाता
81.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली
82.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
83.	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
84.	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी
85.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद
86.	मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई
87.	कांडला पत्तन न्यास
88.	वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वी.ओ.सी.पी.टी.)
89.	भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
90.	डी.एम.आई.सी. परियोजना क्रियान्वयन न्यास निधि, नई दिल्ली
91.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
92.	हज समिति, मुम्बई
93.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
94.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
95.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

96.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बी.एच.यू., वाराणसी
97.	रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर
98.	नालंदा विश्वविद्यालय
99.	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना
100.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
101.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
102.	प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
103.	मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर
104.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
105.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
106.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
107.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
108.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
109.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
110.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
111.	राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बेंगलोर
112.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो विज्ञान संस्थान, बेंगलोर
113.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक
114.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
115.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर
116.	नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमान्नी
117.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रावंगला
118.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.ई.आर.आई.एस.टी.), निर्जुली
119.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यूपिया
120.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय (आर.जी.यू.), दोईमुख
121.	केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान (सी.आई.एच.सी.एस.), दाहुंग
122.	उत्तर पूर्वी पारंपरिक औषधि संस्थान (एन.ई.आई.एफ.एम.), पासीघाट
123.	उत्तर पूर्वी हिल विश्वविद्यालय, शिलौंग
124.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलौंग
125.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय
126.	मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम
127.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम

परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ 1.6 (ख) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहाँ स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2014-15 के दौरान नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
2.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
3.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
4.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
5.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
6.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
7.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
8.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
10.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
11.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
12.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
13.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
14.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
15.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली
16.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली
17.	तिब्बत हाऊस, नई दिल्ली
18.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ, नई दिल्ली
19.	राष्ट्रीय मानव संसाधन आयोग, नई दिल्ली

20.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
21.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
22.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
23.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली
24.	राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
25.	राष्ट्रीय शिक्षण योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
26.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
27.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली
28.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
29.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
30.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
31.	लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद, नई दिल्ली
32.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
33.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
34.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
35.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
36.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़
37.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर
38.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
39.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर
40.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्पुदुर
41.	ऑरोविले फाउंडेशन, पुदुचेरी
42.	राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई
43.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कवरत्ती
44.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुअनंतपुरम

45.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड
46.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
47.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
48.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
49.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
50.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
51.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
52.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन, कोलकाता
53.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
54.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
55.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
56.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांगता संस्थान, कोलकाता
57.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
58.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
59.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
60.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़
61.	संत लॉगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉगोवाल
62.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर
63.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
64.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
65.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
66.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
67.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
68.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
69.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा

70.	अटल बिहारी वाजपेयी आई.आई.टी.एम., ग्वालियर
71.	पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा आई.आई.आई.टी.डी.एम., जबलपुर
72.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
73.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर
74.	परादीप पत्तन न्यास
75.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
76.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (भुवनेश्वर, जोधपुर, कन्नूर, नई दिल्ली तथा श्रीनगर केन्द्र)
77.	कपड़ा समिति, मुम्बई
78.	चाय बोर्ड, कोलकाता
79.	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
80.	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी
81.	मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई
82.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई
83.	भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (एस.ई.बी.आई.), मुम्बई
84.	खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, मुम्बई
85.	प्रशुल्क सलाहकार समिति, मुम्बई
86.	नवीन मंगलौर पत्तन न्यास, कर्नाटक
87.	भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
88.	रबर बोर्ड, कोट्टयम
89.	मसाला बोर्ड, कोच्ची
90.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची
91.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
92.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा
93.	हज समिति, मुम्बई
94.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

95.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई
96.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
97.	बनारस हिंदु विश्वविद्यालय, बनारस
98.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बी.एच.यू.), वाराणसी
99.	रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर
100.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पाटियाला
101.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
102.	राष्ट्रीय फाउंडरी एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया राँची
103.	मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर
104.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
105.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
106.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
107.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
108.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दु विश्वविद्यालय, हैदराबाद
109.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
110.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
111.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, सिकंदराबाद
112.	सलार जंग संग्रहालय, हैदराबाद
113.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
114.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर
115.	नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमानी
116.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रावंगल
117.	सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम
118.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.ई.आर.आई.एस.टी.), निर्जुली
119.	उत्तर पूर्वी पारंपरिक औषधि संस्थान (एन.ई.आई.एफ.एम.), पासीघाट

120.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय (आर.जी.यू.), दोईमुख
121.	उत्तर पूर्वी हिल विश्वविद्यालय, शिलोंग
122.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलोंग
123.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय
124.	मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम
125.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम

परिशिष्ट - VIII

(पैराग्राफ 1.6 (ग) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहाँ वर्ष 2014-15 के दौरान वस्तु सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
2.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
3.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
4.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
5.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
6.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
7.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
9.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
11.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
12.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली
13.	तिब्बत हाऊस, नई दिल्ली
14.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगठन, नई दिल्ली
15.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
16.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
17.	राष्ट्रीय शिक्षण योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
18.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
19.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली
20.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
21.	लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद, नई दिल्ली

22.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान, किशनगढ़
23.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
24.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
25.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
26.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
27.	दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर
28.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
29.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्पुदुर
30.	राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई
31.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुअनंतपुरम
32.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
33.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन
34.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
35.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
36.	राजा राममोहन राँय लाईब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता
37.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
38.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
39.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
40.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
41.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़
42.	संत लॉगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉगोवाल
43.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर
44.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
45.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
46.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
47.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
48.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
49.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला

50.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा
51.	अटल बिहारी वाजपेयी आई.आई.टी.एम., ग्वालियर
52.	पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा आई.आई.आई.टी.डी.एम., जबलपुर
53.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर
54.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
55.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
56.	कपड़ा समिति, मुम्बई
57.	मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई
58.	भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (एस.ई.बी.आई.), मुम्बई
59.	खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, मुम्बई
60.	प्रशुल्क सलाहकार समिति, मुम्बई
61.	भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
62.	चैन्ने पत्तन न्यास, चेन्नई
63.	मसाला बोर्ड, कोच्ची
64.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची
65.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई
66.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा
67.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
68.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
69.	बनारस हिंदु विश्वविद्यालय, वाराणसी
70.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बी.एच.यू., वाराणसी
71.	रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर
72.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र संस्कृति केन्द्र, इलाहाबाद
73.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
74.	राष्ट्रीय फाउंडरी एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, राँची
75.	मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर
76.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल

77.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
78.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दु विश्वविद्यालय, हैदराबाद
79.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
80.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
81.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
82.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, सिकंदराबाद
83.	सलार जंग संग्रहालय, हैदराबाद
84.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर
85.	नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमानी
86.	एन.आई.टी., रावंगल
87.	सिक्किम विश्वविद्यालय
88.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.ई.आर.आई.एस.टी.), निर्जुली
89.	उत्तर पूर्वी पारंपरिक औषधि संस्थान (एन.ई.आई.एफ.एम.), पासीघाट
90.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय (आर.जी.यू.), दोईमुख
91.	उत्तर पूर्वी हिल विश्वविद्यालय, शिलौंग
92.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलौंग
93.	मिजोरम विश्वविद्यालय (एम.जेड.यू.),
94.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.), मिजोरम

परिशिष्ट - IX

(पैराग्राफ 1.6(घ) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जो वास्तविक/नकद आधार पर अनुदान के लिए जिम्मेदार हैं

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
2.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
3.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
5.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कवरत्ती
6.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड
7.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
8.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
9.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पाटियाला
10.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव
11.	राष्ट्रीय तेलबीज एवं खाद्य तेल विकास बोर्ड, गुडगांव
12.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
13.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़
14.	लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
15.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक
16.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
17.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
18.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली
19.	चाय बोर्ड, कोलकाता
20.	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
21.	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी
22.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद
23.	बृहत्त पत्तनों हेतु प्रशुल्क प्राधिकरण, मुम्बई

24.	इलाहाबाद विश्विद्यालय, इलाहाबाद
25.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
26.	वी.वी. गिरी प्रौद्योगिकी संस्थान, नोएडा
27.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बी.एच.यू., वाराणसी
28.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
29.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र संस्कृति केन्द्र, इलाहाबाद
30.	खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
31.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
32.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
33.	राष्ट्रीय फाउंडरी एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, राँची
34.	सलार जंग संग्रहालय, हैदराबाद
35.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा
36.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलोर
37.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर
38.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैंड
39.	उत्तर पूर्वी हिल विश्वविद्यालय, शिलोंग
40.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलोंग
41.	मिजोरम विश्वविद्यालय, ऐजोल, मिजोरम
42.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम

परिशिष्ट – X

(पैराग्राफ 1.6(ड) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए जिम्मेदार नहीं है

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
2.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
3.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
4.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानकीकरण प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.), नई दिल्ली
5.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
6.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
7.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
9.	सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
10.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
11.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
12.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
13.	भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
14.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
15.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
16.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली
17.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
18.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली
19.	लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद, नई दिल्ली
20.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली
21.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

22.	ऑरोविले फाउंडेशन, पुदुचेरी
23.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
24.	तटीय जलीय संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई
25.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
26.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर
27.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदुर
28.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं विनिर्माण संस्थान कांचीपुरम
29.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, त्रिची
30.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तंजावुर
31.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
32.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
33.	राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई
34.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई
35.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची
36.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड
37.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची
38.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड
39.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट
40.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
41.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
42.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
43.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
44.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन
45.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
46.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
47.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
48.	राजा राममोहन रॉय लाईब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता
49.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता

50.	पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता
51.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
52.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
53.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
54.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
55.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
56.	संत लॉंगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉंगोवाल
57.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पाटियाला
58.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला
59.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
60.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर
61.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
62.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
63.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र
64.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव
65.	राष्ट्रीय तेलबीज एवं खाद्य तेल विकास बोर्ड, गुडगांव
66.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
67.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
68.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
69.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
70.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
71.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़
72.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक
73.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
74.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा
75.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
76.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
77.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

78.	राष्ट्रीय विधिक अकादमी, भोपाल
79.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर
80.	एम.एस.आर.वी.वी.पी., उज्जैन
81.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, भोपाल
82.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक
83.	डॉ. हरिसंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
84.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर
85.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
86.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
87.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
88.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
89.	कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड, कोलकाता
90.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलोर
91.	कॉफी बोर्ड, बेंगलोर
92.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम
93.	कपड़ा समिति, मुम्बई
94.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
95.	चाय बोर्ड (पेंशन भाग)
96.	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
97.	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी
98.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद
99.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई
100.	खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, मुम्बई
101.	चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई
102.	कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन
103.	वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वी.ओ.सी.पी.टी.)
104.	रबर बोर्ड, कोट्टयम
105.	मसाला बोर्ड, कोच्ची

106.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची
107.	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.)
108.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे
109.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियंत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई
110.	अली यावर जंग राष्ट्रीय बघिर संस्थान, मुम्बई
111.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
112.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा
113.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे
114.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई
115.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
116.	भारतीय हज समिति (बीमांकिक मूल्यांकन केवल ग्रेच्यूटी के संबंध में जबकि अवकाश के नकदीकरण की गणना नकद आधार पर की गयी है)
117.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
118.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
119.	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद
120.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी
121.	नवोदय विद्यालय संगठन, नोएडा
122.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बी.एच.यू., वाराणसी
123.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
124.	रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर
125.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र संस्कृति केन्द्र, इलाहाबाद
126.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
127.	खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना
128.	राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद
129.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
130.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
131.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
132.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद

133.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाडा
134.	सलार जंग संग्रहालय, हैदराबाद
135.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रबंधन संस्थान (एम.ए.एन.ए.जी.ई.), हैदराबाद
136.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
137.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राऊरकेला
138.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैंड
139.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रावंगल
140.	सिक्किम विश्वविद्यालय
141.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.ई.आर.आई.एस.टी.), निर्जुली
142.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.), यूपिया
143.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय (आर.जी.यू.), दोईमुख
144.	केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान (सी.आई.एच.सी.एस.), दाहुंग
145.	उत्तर पूर्वी पारंपरिक औषधि संस्थान (एन.ई.आई.एफ.एम.), पासीघाट

परिशिष्ट - XI

(पैराग्राफ 1.6(च) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने स्थायी परिसंपत्ति पर मूल्यहास उपलब्ध नहीं कराया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
2.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली
3.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
4.	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन
5.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
6.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
7.	संत लॉगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉगोवाल
8.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
9.	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद
10.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
11.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
12.	राष्ट्रीय फाउंडरी एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, राँची
13.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल

परिशिष्ट - XII

(पैराग्राफ 1.6 (छ) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने लेखों को संशोधित किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
2.	तटीय जलीय संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई
3.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
4.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर
5.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
6.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम
7.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी
8.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
9.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
10.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई
11.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची
12.	राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति सशक्तकरण संस्थान, चेन्नई
13.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
14.	कॉफी बोर्ड, सामान्य निधि, बेंगलोर
15.	कॉफी बोर्ड, पूल निधि, बेंगलोर
16.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम
17.	रबर बोर्ड, कोट्टयम
18.	भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
19.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, राँची
20.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
21.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एस.वी.एन.आई.आर.टी.ए.आर.), ओलटपुर, कटक

22.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस.), भुवनेश्वर
23.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलोर
24.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर
25.	राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बेंगलोर
26.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो विज्ञान संस्थान, बेंगलोर
27.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक
28.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
29.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रवांगल
30.	सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम
31.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय (आर.जी.यू.), दोईमुख
32.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय
33.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान

परिशिष्ट - XIII

(पैराग्राफ सं. 23.1 में संदर्भित)

दिसम्बर 2015 को समाप्त वर्ष मार्च 2014 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतिक्रिया प्राप्त कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त वर्ष मार्च के लिए प्रतिवेदन	कुल देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
1.	कृषि	2013	1	1	-
2.	नागरिक उड्डयन	2009	1	1	-
		2012	1	-	1
3.	रसायन एवं खाद	2013	2	2	-
		2015	1	-	1
4.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण	2014	4	4	-
5.	वाणिज्य एवं उद्योग (वाणिज्य विभाग)	2014	1	1	-
6.	वाणिज्य एवं उद्योग (भारतीय निर्यात निरीक्षण विभाग)	2014	1	1	-
7.	वाणिज्य एवं उद्योग (भारतीय चाय बोर्ड विभाग)	2014	1	-	1
8.	संस्कृति	2011	1	-	1
		2012	2	-	2
		2013	4	1	3
		2014	2	1	1
9.	योजना आयोग/नीति आयोग	2013	2	-	2
10.	विदेश	2011	1	-	1
		2012	2	-	2
		2013	4	-	4
		2014	3	2	1
11.	वित्त	2014	1	-	1
12.	वित्त कौशल विकास एवं उद्यम	2015	1	1	-
13.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2008	1	-	1
		2009	1	-	1
		2010	1	-	1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त वर्ष मार्च के लिए प्रतिवेदन	कुल देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
		2011	2	-	2
		2012	2	-	2
		2013	3	-	3
		2014	6	5	1
14.	गृह	2014	4	-	4
15.	गृह (संघ क्षेत्र)	2012	1	-	1
16.	मानव संसाधन विकास	2004	1	-	1
		2006	1	-	1
		2007	1	-	1
		2008	1	1	-
		2010	1	1	-
		2011	1	-	1
		2012	4	-	4
		2013	6	2	4
17.	सूचना एवं प्रसारण	2013	1	-	1
		2014	1	1	-

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त वर्ष मार्च के लिए प्रतिवेदन	कुल देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
18.	श्रम एवं रोजगार	2013	1	-	1
		2014	1	1	-
19.	विधि एवं न्याय	2003	1	-	1
20.	खान	2012	1	-	1
21.	अल्पसंख्यक मामले	2014	1	1	-
22.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	2014	1	-	1
		2015	1	1	-
23.	ग्रामीण विकास	2010	1	-	1
		2012	1	-	1
		2013	1	1	-
24.	पोत परिवहन	2013	2	-	2
		2014	1	1	-
25.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1996	1	-	1
		2003	1	-	1
		2006	1	-	1
26.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन	2014	2	2	-
27.	कपड़ा	2009	1	-	1
28.	जनजातीय मामले	2006	1	1	-
		2014	1	1	-
29.	पर्यटन	2014	1	-	1
30.	महिला एवं बाल विकास	2011	1	-	1
		2012	1	-	1
31.	युवा मामले एवं खेल	2010	1	-	1
		2011	1	1	-
		2012	1	-	1
		2013	1	1	-
		2014	2	2	-
कुल			111	44	67

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in